

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 515 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2021—पौष 6, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-21-2021-1-पांच-(91).—मध्यप्रदेश वृत्तिकर नियम, 1995 (क्रमांक 16, सन् 1995) के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-14-2010-1-पांच-(68), दिनांक 16 अगस्त 2010 को अधिक्रमित करते हुए, एतद्वारा यह उपबंध करती है कि मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन नियोक्ता द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा यथास्थिति, प्ररूप 1 या प्ररूप 3 में, इलेक्ट्रानिक रीति में, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल ([www.mptax.mp.gov.in](http://www.mptax.mp.gov.in)) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत करेगा.

2. नियोक्ता या व्यक्ति द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन मध्यप्रदेश वृत्तिकर नियम, 1995 के नियम 3-क के अंतर्गत केवल इलेक्ट्रानिक रीति से प्रस्तुत किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-21-2021-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-21-2021-1-पांच-(91) दिनांक 27 दिसम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 27th December 2021

No. F A 3-21-2021-1-V(91).—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Madhya Pradesh Profession Tax Rules, 1995 and in supersession of this department's notification No. F-A-3-14-2010-1-V(68), dated 16<sup>th</sup> August, 2010, the State Government, hereby, provides that an application for grant of registration certificate under section 8 of the Madhya Pradesh Profession Tax Act, 1995 (No. 16 of 1995) shall be furnished by an employer or a person electronically in Form 1 or Form 3, as the case may be, through the official web portal of the department ([www.mptax.mp.gov.in](http://www.mptax.mp.gov.in)) in accordance with the instructions given in the web portal.

2. The application for certificate of registration by an employer or person shall mandatorily be filed electronically only under rule 3-A of the Madhya Pradesh Profession Tax Rules, 1995.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
DIPALI RASTOGI, Principal Secy.